

(ख) क्या छोटे छोटे आयल मिलों और सोलरबैट प्लांट बाकों को यूगफली की खली का कोटा धारणित न किए जाने के कारण उन्हें नुकसान हुआ है और हो रहा है, यदि हा, तो यह कोटा कब और कितना एलाट किया जाएगा, और

(ग) जब प्रवालम 4 लाख टन कोटा इन उद्योगों को रिजोड करने के लिए प्रादेश जारी कर चुका है तो राज्य व्यापार निगम द्वारा उपर्युक्त अवधि के लिए कोटा रिजोड करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

बाणिज्य, नागरिक पुति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) यूगफली विनायक निस्सारण के निर्यात के लिए 22-1-79 को 3, लाख में टन, 23-5-79 को 4.7 लाख में टन और 4-6-79 को 1.3 लाख में टन की 3 क्रिस्तों में कुल 9 लाख में टन का कोटा दिया गया। कोई नियम प्रवधि नय नहीं की गई है और कोटा पूरे कलेंडर वर्ष के लिए है।

(ख) ऐसे विनायक निस्सारण एक्को द्वारा बहुत की गई किन्ही हानियों के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है जिन्होंने यूगफली निस्सारण के निर्यात कोटा लिए जाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे किए हो। बान्साव में, राज्य व्यापार निगम द्वारा 200 विनिर्माता एक्को की प्रथी तक लिए गए 7 लाख में टन यूगफली निस्सारण में से प्रथी तक केवल 1.2 लाख में टन की खेपें बेजी गई हैं।

(ग) सरकार द्वारा प्रावश्यक कोटा दिए जाने के बाद विनिर्माता एक्को के पक्ष में निर्यात पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने में राज्य व्यापार निगम द्वारा किसी भी समय कोई देगी नहीं की गई।

प्राउडमट सोलरबैट ऐक्स्ट्रैक्शन की प्रावश्यक केक के निर्यात के सम्बन्ध में निर्यात नीति

848. श्री जर्ज सिंह जाई पटेल : क्या बाणिज्य, नागरिक पुति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) प्राउडमट सोलरबैट ऐक्स्ट्रैक्शन की प्रावश्यक केक के निर्यात के बारे में स्पष्ट निर्यात नीति न होने के कारण छोटे तेज मिल मालिकों और सोलरबैट प्लांट बाकों को नुकसान हो रहा है, यदि हा, तो क्या सरकार का विचार नवम्बर-दिसम्बर में यूगफली की वैधानार बाजार में प्राप्ति से पूर्व इस बारे में स्पष्ट नीति घोषित करने का है;

(ख) वर्ष 1979 के दौरान कुल कितनी मात्रा में प्राउडमट सोलरबैट ऐक्स्ट्रैक्शन की प्रावश्यक केक का निर्यात (अथ 1111) और उनमें से

कितनी मात्रा पहले ही रिजोड की गई है और दिसम्बर 1979 तक कितनी मात्रा रिजोड की जाएगी,

(ग) जनवरी से अप्रैल 1979 के दौरान राज्य व्यापार निगम और राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन सच को कितना कोटा बलाट किया गया है और उन्होंने 30 अप्रैल, 1979 तक उसमें से कितना निर्यात किया है, और

(घ) बई-अगस्त 1979 के लिए राज्य व्यापार निगम और राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन सच को निर्यात हेतु कितना डी प्रावश्यक केक आगट किया गया है और सोलरबैट प्लांट को कितना कोटा बलाट किया गया है तथा कब बलाट किया गया है और यदि यह बलाट नहीं किया गया है तो कब किया जाएगा?

बाणिज्य, नागरिक पुति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) यूगफली निस्सारण से संबंधित निर्यात नीति सक्की मार्गदर्शी मिहानो को सरकार द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है जिनके आधार पर राज्य व्यापार निगम विनिर्माणकर्ता एक्को को निर्यात कोटा आवंटित करता रहा है जिनमें वे सहकारों एक्क भी शामिल हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता कसौटो का पूरा करने हैं।

(ख) 1979 के दौरान 9 लाख में टन यूगफली विनायक निस्सारण तेल रहित खली निर्यात करने की प्रस्थापना है। 7 लाख में टन पहले ही रिजोड रिजर्व कर दिया गया है, और 2 लाख में टन प्रोत्साहन कोटा के रूप में दिसम्बर 1979 तक उन एक्को को रिजोड कर दिया जाएगा जो अपने पिछले कोटे का प्रयोग करने हैं।

(ग) राज्य व्यापार निगम को सोने निर्यात के लिए 40,000 में टन आवंटित किया गया था परन्तु राज्य व्यापार निगम द्वारा कोई निर्यात नहीं किया गया क्योंकि सन्पायरो के पूर्व निर्धारित अपने निजी कोटे को पूरा करने के फवस्वरूप सन्पायरो कम हुई। नाकेड को राज्य व्यापार निगम द्वारा 30,000 में टन यूगफली निस्सारण आवंटित किया गया जिनमें से 14,200 में टन का 30-4-79 तक निर्यात करने की पुष्टि की गई थी।

(घ) राज्य व्यापार निगम नाकेड द्वारा निर्यात के लिए कोई विशिष्ट कोटा निर्धारित नहीं किया गया। विनिर्माणकर्ता एक्को के लिए, जिसमें सरकारी सभितिया भी शामिल हैं, पहले ही करीब 7 लाख में टन का एक कोटा आवंटित रिजर्व किया गया है तथा अब 2 लाख में टन उन एक्को को रिजोड किया जाएगा जो अभीवता के साथ अपने पिछले कोटे को पूरा करते हैं।